बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या– पी0पी0एम0–01/2017– 1179 /कृ0,पटना, दिनांक 15-03-,2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)
से परामर्शित।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 14557.84 लाख रूपये (एक अरब पैतालीस करोड़ सतावन लाख चौरासी हजार) का कार्यान्वियन एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 4367.352 लाख रूपये (तैतालीस करोड़ सड़सठ लाख पैंतीस हजार दो सौ रूपये) {केन्द्रांश 2620.4112 लाख (छब्बीस करोड़ बीस लाख एकतालीस हजार एक सौ बीस) रूपये एवं राज्यांश 1746.9408 लाख (सतरह करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार अस्सी) रूपये} का कार्यान्वियन की स्वीकृति।

आदेश – स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2018–19 तक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण हेतु कुल 14557.84 लाख रूपये (एक अरब पैतालीस करोड़ सतावन लाख चौरासी हजार) का कार्यान्वियन एवं इसके अधीन वित्तीय वर्ष 2016–17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कुल 4367.352 लाख रूपये (तैतालीस करोड़ सड़सठ लाख पैंतीस हजार दो सौ रूपये) {केन्द्रांश 2620.4112 लाख (छब्बीस करोड़ बीस लाख एकतालीस हजार एक सौ बीस) रूपये एवं राज्यांश 1746.9408 लाख (सतरह करोड़ छियालीस लाख चौरानवे हजार अस्सी) रूपये} का कार्यान्वियन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्तीय वर्ष 2016–17 में भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2016–RKVY दिनांक–19.04.2016 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में केन्द्रांश 104.39 करोड़ रू० एवं राज्यांश 69.60 करोड़ रू० कुल 173.99 करोड़ रू० उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक–2126 दिनांक–16.05.2016 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश 75.30 करोड़ रू० एवं राज्यांश 50.20 करोड़ रू० कुल 125.50 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया है। पुनः भारत सरकार के पत्रांक–7–1/2016–RKVY दिनांक–22.09.2016 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) में केन्द्रांश 161.12 करोड़ रू० एवं राज्यांश 107.41 करोड़ रू० कुल 268.53 करोड़ रू० अंतिम उद्व्यय संसूचित किया गया है। उक्त अंतिम उद्व्यय के आलोक में

E:\ABHINAV\2016-17\RKVY Farm\RKVY Farm Pradhikrit checklist 2016-17.docx

15.3.2017

विभागीय पत्र संख्या–5161 दिनांक–07.12.2016 के द्वारा कृषि विभाग के लिए केन्द्रांश 115.82 करोड़ रू० एवं राज्यांश 77.21 करोड़ रू० कुल 193.03 करोड़ रू० कर्णांकित किया गया है। उक्त उद्व्यय के आलोक में अब तक भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त नहीं किया गया है। भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्ति के पश्चात केन्द्रांश एवं अनुपातिक राज्यांश का आवंटनादेश निर्गत कर राशि निकासी एवं व्यय किया जायेगा।

3. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास एवं सुदृढ़ीकरण कर राज्य में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना है। कार्यक्रम के फलस्वरूप राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों में गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन एवं बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि होगी।

4. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः– (राशि लाख रूपये में)

क्र०	कार्यक्रम	वित्तीय लक्ष्य			
		2016–17	2017–18	2018–19	कुल
1	राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण	4367.352	8550.00	1640.488	14557.84

5. **राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण**–वर्तमान में 36 जिलों में 241 राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों के कुल रकवा 2801 हेक्टेयर अन्तर्गत 1950 हेक्टेयर खेती योग्य रकवा में राज्य योजना से बीज उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। राज्य के 36 जिलों में कुल 72 बीज गुणन प्रक्षेत्रों को आदर्श प्रक्षेत्रों के रूप में विकसित करने के लिए आधारभूत संरचना का विकास यथा पक्का चहार दिवारी, आंतरिक सड़क, गोदाम निर्माण, थ्रेसिंग फ्लोर निर्माण, पहुँच पथ, सुखाने हेतु फर्श, तालाब निर्माण, शेड निर्माण एवं यांत्रिक शेड निर्माण किया जायेगा। उक्त कार्यक्रम का उद्देश्य प्रक्षेत्रों को आदर्श प्रक्षेत्र के रूप में विकसित करना, प्रक्षेत्रों को किसानों के लिए प्रत्यक्षण–सह–प्रशिक्षण स्थल के रूप में विकसित करना, बीज उत्पादन एवं उत्पादकता में अपेक्षित वृद्धि लाना, बीज की गुणवत्ता में वृद्धि लाना, राज्य में नवीनतम अधिक उपजशील प्रभेद के गुणवत्तायुक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि लाना एवं किसानों को बीज उत्पादन के लिए प्रेरित करना तथा राज्य को बीज की उपलब्धता के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना सम्मिलित है। उक्त कार्यक्रम का कार्यान्वयन अनुदेश उप निदेशक (शष्य) प्रक्षेत्र, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–05.08.2016 को आहूत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की कार्यवाही में इस कार्यक्रम से संबंधित दी गयी स्वीकृति (कार्यवाही कृषि निदेशालय, बिहार के ज्ञापांक–3578 दिनांक–23.08.2016 द्वारा निर्गत) एवं भारत सरकार के पत्रांक–1–4/2016–RKVY दिनांक– 04.08.2016 के अनुसार निर्गत किया जायेगा।

6. अनुसूची–1 के अनुसार राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण मद में स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक, बिहार, पटना द्वारा बी०टी०सी० फार्म–42 पर संबंधित कोषागार से की जायेगी एवं अनुसूची–2(ii) के अनुसार संबंधित जिलों के कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन को उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित कार्यपालक अभियंता, वर्क्स डिवीजन, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य अभियंता के माध्यम से कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों के सुदृढ़ीकरण कार्यो की तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा दी गई है (अनुसूची–3 संलग्न)।

7. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्यक्रमों को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक–05.08.2016 की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।

8. वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के उद्व्यय में वृद्धि होने की स्थिति में अथवा राशि अवशेष रह जाने के कारण विभाग द्वारा वित्तीय लक्ष्य में सन्निहित दिशानिर्देशों के आलोक में बढ़ाया जा सकता है।

9. उक्त योजना का कार्यान्वयन कृषि रोड मैप के लिए निर्धारित कार्यान्वयन अनुदेश तथा भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका के अनुसार किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

10. वितीय वर्ष 2016–17 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

राशि (लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्रांश)		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 109– विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष– 0216– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401001090216,विषयशीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	15525.90	2174.9413
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1, उपशीर्ष–0203, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007890203, विषय शीर्ष–31 06– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	3981.00	419.2658
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी० वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड– P2401007960231, विषयशीर्ष–3106–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	398.10	26.2041
योग	**19905.00**	**2620.4112**
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (राज्यांश)		
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म– उपमुख्य शीर्ष– 00–लघु शीर्ष– 109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1 उपशीर्ष– 0316–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401001090316, विषयशीर्ष–31 06 सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	10350.60	1449.9609
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0303–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007890303, विषयशीर्ष–31 06– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	2654.00	279.5105
मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष– 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0331– राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के० वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड– P2401007960331, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा	265.40	17.4694
योग	**13270.00**	**1746.9408**

11. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक–23.06.2015 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

12. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त

योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनाक 03.03.2017 की बैठक में स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–01 / 2017 के पृ0सं0–17 / टि० पर प्राप्त है। योजना कार्यान्वयन में मंत्री, कृषि का दिनांक–16.02.2017 को स्वीकृति संचिका संख्या– पी०पी०एम०–01 / 2017 के पृ0सं0– 12 / टि० पर प्राप्त है।

13. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

14. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– पी0पी0एम0–01 / 2017 के पृ0सं0– 20 / टि. पर दिनांक– 10.03.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–01 / 2017 1179 / कृ0, पटना, दिनांक 15–03–2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–01 / 2017 1179 / कृ0, पटना, दिनांक 15–03–2017

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0–01 / 2017 1179 / कृ0, पटना, दिनांक 15–03–2017

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / निदेशक, बामेति, बिहार, पटना / मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना / वरीय प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग / संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।